राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 3835–पीबीआर/13 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–03–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । मूल निगरानी प्रकरण कमांक 382–पीबीआर/11 में दिनांक 17–1–2013 को तर्क श्रवण किये जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था, परन्तु आदेश के पैराग्राम 3 में त्रुटिवश ''प्रकरण दिनांक 17–2–2013 को आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने जाकर इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था'' टंकित हो गया है । अतः उक्त के स्थान पर ''प्रकरण दिनांक 17–1–2013 को आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने जाकर इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था'' पढ़ा जाये । यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी । अतः इसे मूल आदेश के साथ संलग्न किया जाये । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	

अभि...
हस्ताक्षर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **डी0 सिंघई**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 382–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–2–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 152/08–09/निगरानी

.....

1 श्रीमती आशा देवी पत्नी माधौसिंह
इन्द्रगंज ग्वालियर म0 प्र0
2 श्रीमती मुननी देवी पत्नी श्री वचनसिंह
कमलसिंह का बाग शिन्दे की छावनी लश्कर ग्वालियर
3 राघव प्रतापसिंह पुत्र रामलखनसिंह
जिसी नाला नंबर 1 लश्कर ग्वालियर
4 अ– सुश्री निर्मला भदौरिया पुत्री श्यामसिंह
ब– श्यामसिंह (मृतक) पुत्र दिलीरामसिंह भदौरिया
वारिस
श्रीमती विमला देवी पत्नी एन0 एस0 तोमर
निवासी विनय नगर ग्वालियर म0 प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1 सोमतियॉ पुत्र खासा निवासी बडेरा
परगना गोहद जिला भिण्ड म0 प्र0
2 श्रीमती बैजन्ती (मृतक) पत्नी श्री रघुनाथ पुत्री खासा
1 सरनाम सिंह
2 वासुदेव
निवासी सीता का पुरा पुरानी छावनी लश्कर
3 श्रीमती मीरा पत्नी स्व0 श्री रामप्रकाश पुत्री खासा
पुराने हाईकोर्ट के सामने इन्द्रगंज लश्कर ग्वालियर
4 श्रीमती आनंदीबाई पत्नी स्व0 महाजन सिंह
5 शिचरण
6 पप्पू
7 जगदीश पुत्रगण स्व0 महाराज सिंह

8 श्रीमती जीतो पत्नी भागीरथ पुत्र स्व0 महाराजसिंह
9 बैकुण्डी पत्नी स्व0 खासा
निवासीगण पुरानी छावनी लश्कर ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0 एस0 बघेल अभिभाषक, अनावेदक कमांक–1
श्री डी0 एस0 सेंगर अभिभाषक, अनावेदक कमांक–5 एवं 6

.....

:: आ दे श ::

(पारित दिनांकः 06 फरवरी, 2013)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–1 सोमतियॉ, अनावेदक कमांक 2 स्वर्गीय श्रीमती बैजन्ती एवं अनावेदक कमांक 3 श्रीमती मीरा द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 12 पर पारित आदेश दिनांक 24–1–1997 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 9–3–2005 को प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 22–10–2007 को आदेश पारित कर नामांतरण पंजी कमांक 12 पर पारित आदेश दिनांक 24–1–1997 अपास्त किया जाकर पूर्व की स्थिति कायम करते हुये उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः गुणदोष के आधार पर स्पष्ट बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 4 लगायत 8 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । साथ ही आवेदकगण द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर

आयुक्त द्वारा दिनांक 14–2–2011 को आदेश पारित कर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील एवं निगरानी निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–10–2007 की पुष्टि की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 17–2–2013 को आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था कि अनावेदक कमांक 1 एवं अनावेदक कमांक 5 के अभिभाषक 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा ग्राम मालनपुर तहसील एवं जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 452/1 रकबा 0.136 हैक्टेयर, सर्वे कमांक 452/2 रकबा 0.209 हैक्टेयर एवं सर्वे कमांक 753 रकबा 0.41 हैक्टेयर पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 14–8–1995 को कय की गई है और वर्ष 1999 में प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नामांतरण भी हो गया है । इस आधार पर कहा गया कि उक्त नामांतरण को अनावेदकगण द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश देने में विधि की गंभीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1999 का नामांतरण आदेश अस्तित्व में रहते हुये पूर्व की स्थिति कायम नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किये जाने के कारण उनका उक्त भूमि पर कोई स्वत्व नहीं रह गया था और उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था ।

अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना तहसील न्यायालय का अभिलेख मंगाये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

5/ शेष अनावेदकगण सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित रहे है ।

6/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–1997 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष निगरानी दिनांक 9–3–2005 को लगभग 8 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब क्षमा करने का आधार यह लिया गया है कि तहसीलदार द्वारा एक सर्वे नंबर पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का नाम अंकित रहने दिया गया एवं शेष 4 नबर से उनका नाम कम कर दिया गया, इसलिये भ्रम के कारण उन्हैं आदेश की जानकारी नहीं होना प्रतीत होता है, इसलिये अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र सदभावना पर आधारित है । अनुविभागीय अधिकारी का उक्त निष्कर्ष व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि यदि एक सर्वे नंबर पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का नाम दर्ज था और उसकी जानकारी उन्हैं थी तब अन्य सर्वे नंबर पर उनका नाम कम किये जाने की जानकारी भी अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को नहीं मानना व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब क्षमा करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य थी । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के प्रकरण में संलग्न पंजीकृत विकय पत्र की सत्य प्रतिलिपि को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 एवं 9 के मुख्त्यारआम जगदीश पुत्र महाराज सिंह एवं अनावेदक कमांक 4 के पति एवं अनावेदक कमांक 5 लगायत 8 के पिता स्वर्गीय महाराजसिंह द्वारा सर्वे कमांक 452/1 रकबा 0.136 हैक्टेयर, सर्वे कमांक 452/2 रकबा 0.209 हैक्टेयर एवं सर्वे कमांक 753 रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि का विकय पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से आवेदकगण को कर दिया

गया है । उक्त विकय पत्र में अनावेदक कमांक 3 मीरा के भी हस्ताक्षर है । इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दोषी मंशा से उक्त विकय को विफल कराने के उद्देश्य से तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी से आदेश पारित करा लिया गया है, क्योंकि जिस भूमि का विकय उन लोगों के द्वारा किया जा चुका है, उस पर उनका कोई स्वत्व नहीं रह जाता है, तथा उन्हैं उक्त भूमि के संबंध में अपील प्रस्तुत करनें का अधिकार नहीं था । इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत एवं न्यायिक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा कय की गई भूमि पर दिनांक 30–9–1999 को आवेदकगण का नामांतरण स्वीकृत हुआ है । उक्त नामांतरण आदेश को अनावेदकगण द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दिया जाना अभिलेख से परिलक्षित नहीं होता है । अतः उक्त नामांतरण अंतिम हो गया है और उक्त नामांतरण के अस्तित्व में रहते किन्ही भी परिस्थिति में आवेदकगण की भूमि के संबंध में पूर्व की स्थिति कायम नहीं की जा सकती है । प्रश्नाधीन भूमि के विकय दिनांक को विकेतागण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज था अतः आवेदकगण द्वारा भूमि कय करने में सदभाविक कार्यवाही की गई है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पंजीकृत विकय पत्र की जांच करने एवं उसे निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र अपरोक्ष रूप से शून्यवत हो जायेगा । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है और अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में विधिक त्रुटि की गई है, अतः उनके द्वारा पारित आदेश की भी पुष्टि नहीं की जा सकती है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–2011, एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित

आदेश दिनांक 22–10–2007 अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

8/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 1188–पीबीआर/2011 में भी लागू होगा । अतः इसकी एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाय ।

(डी0 सिंघई)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर